7 राज्य • 1 केंद्रशासित प्रदेश • 19 संस्करण : उत्तर प्रदेश | उत्तराखंड | हिमाचल | जम्मू-कश्मीर | दिल्ली | हरियाणा | पंजाब | चंडीगढ़

अमर उजाला

छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, कंपोजिशन स्कीम की सीमा 75 लाख से बढ़कर 1 करोड़

जीएसटी

लखनऊ
शनिवार, 7 अक्तूबर 2017

उत्तर प्रदेश

'इनपुट क्रेडिट न मिलने से निर्यात को नुकसान'

सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त को व्यापारियों ने बताईं जीएसटी की समस्याएं

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ।

विदेश में क्रिसमस के समय उत्पादों की सबसे ज्यादा मांग होती है। इसे पूरा करने के लिए उत्पादन और निर्यात संबंधी प्रक्रिया सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। इससे उत्पाद की लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है और विदेश में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो रहा है। सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त शिव नारायण सिंह को उद्यमियों ने जीएसटी को लेकर अपनी समस्याएं बताईं। इस कार्यक्रम का आयोजन एसोसिएट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) यूपी ने किया था।

मुख्य आयुक्त व्यापारियों से जीएसटी को लेकर हो रही समस्याओं की जानकारी लेने आए थे। उन्होंने उद्यमियों और निर्यातकों से कहा कि नए कानून में लगातार सुधार किया जा रहा है। उनकी समस्याएं केंद्रीय जीएसटी काउंसिल के सामने रखी जाएंगी। हैंडलूम निर्यातक विनीत गुप्ता ने उन्हें बताया कि वे जब धागा खरीदते हैं तो उन्हें 18 फीसदी कर का भुगतान करना होता है। जिन लोगों से वे माल बनवाते हैं वो असंगठित क्षेत्र के हैं। इनमें से किसी का पंजीकरण नहीं है। इसलिए उन्हें निर्यात के समय इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाता। जिससे उनके माल की लागत बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। हैंडलूम निर्यात के ज्यादातर ठेके भारत के बजाय पाकिस्तान को मिल रहे हैं। उद्यमियों ने होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बीच हुए लेनदेन में सरकार को किसी प्रकार का फायदा न होने के बावजूद कर लगाने की प्रक्रिया को गैरजरूरी करार दिया। इसी तरह कुछ उद्यमियों ने इनपुट क्रेडिट के लिए केवल 100 इंवॉयस भर सकने की व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। इससे भी काफी उद्यमियों का रुपया फंसा हुआ है। इस मौके पर एसोचैम के अध्यक्ष एके गुप्ता के साथ ही सीमा शुल्क आयुक्त शिव कुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त आरके सिह और एसोचैम के महासचिव वीएन गुप्ता भी उपस्थित रहे।

एसोचैम के कार्यक्रम में भाग लेते सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त शिव नारायण सिंह।

इनपुट क्रेडिट के लिए केवल 100 इंवॉयस भर सकने की व्यवस्था पर भी जताई नाराजगी

जीएसटी से नहीं घट रही विकास दर

कार्यक्रम के दौरान रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के शिक्षक डॉ. बीबी तिवारी ने जीएसटी लागू करने वाले देशों की विकास दर कम होने का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्य आयुक्त ने कहा कि जीएसटी लागू होने के केवल तीन महीने में इस तरह का आंकलन देना सही नहीं है। जीएसटी और विकास दर का आपस में फिलहाल कोई लेनादेना नहीं है।

यह है इनपुट क्रेडिट

इनपुट क्रेडिट उत्पादकों को मिलने वाली सुविधा है। इसमें कच्चे माल की खरीद के समय जितने कर का भुगतान किया गया होगा उसकी छूट व्यापारी को जीएसटी रिटर्न भरने के समय मिलती है। अगर व्यापारी ने 100 रुपये का कच्चा माल खरीदा है और उस पर 12 फीसदी कर चुकाया है तो यह कर लागत से अलग माना जाएगा। मतलब माल के उत्पादन में वह जितनी अतिरिक्त लागत लगाएगा उसमें कच्चे माल पर दिया गया जीएसटी शामिल नहीं होगा। बिक्री के समय वह थोक व्यापारी से जीएसटी चार्ज करेगा। इसके बाद रिटर्न दाखिल करते समय वह थोक व्यापारी से प्राप्त किए गए जीएसटी में से कच्चे माल की खरीद के समय दी गई जीएसटी की राशि को कम करके टैक्स देगा।